न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रमेश कुमार पुत्र दानाराम भाटिया, जाति घांची निवासी पिण्डवाड़ा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही (राज0)		1. सचिव रेल मंत्रालय, भारत गणराज्य दिल्ली 2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) रेलवे भवन, नई दिल्ली 3. प्रबंध निदेशक, डेडिकेटेड फंट कोरिडोर कॉर्पोरेशन, पांचवी मंजिल, मेट्रो स्टेशन परिसर, प्रगति मैदान नई दिल्ली 4. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डेडिकेटेड फंट कोरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपकम), 42 ए/3, सिविल लाइंस, अजमेर 5. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी, पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज0)

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

क्लेम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20च के खण्ड 6 रेल अधिनियम 1989, संशोधित अधिनियम 2008, सपठित प्रावधान अन्तर्गत मध्यस्थता अधिनियम 1996, विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला सिरोही द्वारा विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु तहसील पिण्डवाडा के ग्राम पिण्डवाडा 1 में भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अभिनिर्णय (अवार्ड) कमांक 864–65 दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध ग्रीवेन्स/आपत्ति/क्षुब्धता एवं क्लेम

उपस्थिति –
1. श्री अनीष अहमद, वकील प्रार्थी
2. श्री शंकर चौहान अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से उपस्थित
3. अप्रार्थी सं0 5 स्वयं

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

प्रस्तुत क्लेम/आपत्ति के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला सिरोही द्वारा विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु तहसील पिण्डवाडा के ग्राम पिण्डवाडा–1 के विभिन्न खसरों की भूमि का अधिग्रहण हेतु कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.4790 हैक्टयर भूमि का भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा 20ए, 20ए(4), 20ई(1), 20एफ(4)

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

के तहत रेल मंत्रालय की अधिसूचनाओं का भारत के राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत स्थानीय समाचार पत्रों में करवाया गया। प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा समस्त विधिक प्रकिया पूर्ण कर, अभिनिर्णय (अवार्ड) कमांक 864–65 दिनांक 31.05.2018 जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी की खसरा नं0 1794 में से 0.0094 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि (सड़क से 101 से 500 मीटर तक) का अधिग्रहण डीएलसी दर 26,46,300/–रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से, भूमि की प्रतिकर राशि 51,917/–रूपये एवं पेड़ो व फसलों हेतु क्षतिपूर्ति राशि 7,290/–रूपये, कुल क्षतिपूति राशि 59,207/–रूपये (भागीदारी हिस्सा 1) अभिनिर्णित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड से तय किए गये मुआवजे से व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त क्लेम रेलवे अधिनियम, 1996 की धारा 20(च) के खंड 6 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी क्षुब्धता/क्लेम में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यरूप से यह निवेदन किया कि –

1. प्रार्थी की ग्राम पिण्डवाडा (सिरोही) के खसरा नं0 1794 में कुल 15 बिस्वा खातेदारी सिंचित कृषि भूमि स्थित है, जो कि उसके जीवन यापन का साधन है।
2. भारतीय रेलवे अधिनियम, 2008 (संशोधित) की धारा 20ए की अधिसूचना 24.08.2017 का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 28.08.2017 एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 08.09.2017 के उपरांत रेलवे अधिनियम की धारा 20इ की अधिसूचना दिनांक 15.02.2018 का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.02.2018 एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 28.02.2018 को हुआ। जिनके माध्यम से प्रार्थी के उल्लेखित खसरान की भूमि में से 0.0094 हेक्टर (94 वर्गमीटर–यानि 1011.44 वर्गफीट) भूमि अवाप्त की गई। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण योग्य भूमियों के खातेदारों से आमंत्रित दावों/आपत्तियों के कम में प्रार्थी ने भी भिन्न–भिन्न मदों में मुआवजे हेतु दावा/आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थी के दावे को दरकिनार करते हुए मनमाने रूप से अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 को जारी कर, प्रार्थी के पक्ष में मात्र 59,207/–रूपये का मुआवजा पारित किया गया।
3. प्रार्थी की भूमि नगरपालिका पिण्डवाडा के मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त भूमि के पास राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि के निकटस्थ भूमियों की रजिस्टर्ड बेचाननामों से प्रार्थीगण की भूमि की प्रकृति आवासीय प्रकट है। इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की अधिग्रहित भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रकाशन की तिथि को प्रचलित बाजार दर 904/–रूपये प्रति वर्गफीट के अनुसार 9,14,341.76/–रूपये बनता है। जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नही दिया गया।

4. उक्त अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत की गई है, अतः इसके तहत प्रार्थी को मुआवजा नही दिया गया है। जबकि नवीन अवाप्ति कानून 2013 के तहत प्रार्थी को भूमि की कीमत के समतुल्य 100 प्रतिशत राशि का तोषण, प्रार्थी प्रभावित कुटुंब होने से अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष के लिए 3000/–रूपये प्रतिमाह जीवन यापन हेतु अनुदान, 50,000/–रूपये विस्थापन परिवहन राशि, पुनर्स्थापन के लिए एक बारगी 50,000/–रूपये तथा संपूर्ण मुआवजे की राशि पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से भुगतान तक 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की रकम का भुगतान किया जाना चाहिए था। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के समय प्रार्थी की भूमि पर खड़ी फसल और पेड़ों के मुआवजे की मद में मात्र 7290/–रूपये का भुगतान किया गया गया, जो आनुपातिक दृष्टि से अत्यंत कम है।

5. अतः प्रार्थी को निम्न प्रकार से उपयुक्त मुआवजा दिलाने का आग्रह किया गया :–

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये)
1	भूमि की कीमत	9,14,341-76
2	तोषण राशि	9,14,341-76
3	जीवन यापन अनुदान	36,000-00
4	विस्थापन परिवहन राशि	50,000-00
5	प्रभावित कुटुंब की श्रेणी में पुनर्स्थापन राशि	50,000-00
6	खडी फसल व पेडो की मुआवजा राशि	1,00,000-00
	कुल मुआवजा राशि	**20,64,683-52**
7	कुल मुआवजा राशि पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथी से भुगतान तक 12% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की राशि का भुगतान	

प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 18.04.2023 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल मिस अपील सं0 917/2011 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 एवं एस.बी.सिविल मिस अपील सं0 2994/2009 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2014 की प्रतियां न्यायिक दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत की गई, जिनका सहसम्मान अवलोकन किया गया, परंतु यह न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में लागू नही होते है।

अप्रार्थी सं0 1 से 4 (रेलवे) के अधिवक्ता द्वारा महाप्रबंधक/सिविल, डी.एफ.सी.सी.आई. एल. अजमेर की ओर से दिनांक 07.09.2021 को प्रस्तुत जवाब क्लेम/प्रारंभिक आपत्तियों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि :–

1. प्रार्थी द्वारा क्लेम, रेल अधिनियम, 1996 की धारा 20(च) के खण्ड 06 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस नामक कोई अधिनियम नही होने के कारण क्लेम अस्तित्वहीन होने से खारिज योग्य है।
2. रेलवे अधिनियम,1989 प्रभावी रहने के दौरान भारत सरकार द्वारा रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 पारित कर, संशोधित अधिनियम की धारा 3 द्वारा मूल रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 के पश्चात धारा 20ए से 20पी रेलवे विभाग की विशेष रेल परियोजनाओं बाबत भूमि अवाप्ति हेतु जोड़ी गई है।
3. क्लेम प्रार्थना पत्र में अधिसूचना एवं उसके प्रकाशन के संबंध में यह स्पष्ट किया कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ए की अधिसूचना दिनांक 24.08.2017 को जारी की गई, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 28.08.2017 को प्रकाशित हुई, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 08.09.2017 को प्रकाशन करवाया गया। तत्पश्चात धारा 20ई की अधिसूचना दिनांक 15.02.2018 को जारी की गई, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 16.02.2018 को प्रकाशित हुई, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 28.02.2018 को प्रकाशन करवाया गया।
4. रेलवे अधिनियम, 1989 (विद्यमान मूल मय संशोधन) की धारा 20एफ के प्रावधानों के अनुसार केवल मात्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि, पक्षकार को स्वीकार्य नही होने पर मध्यस्थ से राशि निर्धारित करवाने हेतु क्लेम प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है, ना कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित/जारी अभिनिर्णय (अवार्ड) को चुनौति देने का। क्लेम याचिका अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।
5. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(एफ)(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि स्वीकार्य नही होने की स्थिति में, पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर राशि का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा विहित प्रकियानुसार निर्धारित करने का प्रावधान है। जबकि उक्त क्लेम में प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को स्वीकार नही करना या सविरोध स्वीकार करना वर्णित नही किया है। इस प्रकार जब प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ली गई है, तो रेलवे अधिनियम की उक्त धारा के तहत प्रार्थी का यह क्लेम प्रार्थना पत्र, कोई वाद कारण नही होने तथा विधि द्वारा बाधित होने से खारिज योग्य है।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण/अवाप्तिधीन भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किये गये थे। पारित अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 अनुसार प्रार्थी द्वारा सक्षम

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश किया गया था। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर, विधिनुसार निस्तारण किया गया। किसी कृषि भूमि का स्थानीय निकाय के मास्टर प्लान में आवासीय आ जाने मात्र से वह कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित नही हो जाती। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत गठित संयुक्त माप समिति की रिपोर्ट तथा उपलब्ध दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी के खसरा नं0 1794 की भूमि को सिंचित कृषि भूमि प्रमाणित मानकर, विनिश्चय के उपरांत मुआवजा राशि निर्धारित की गई है, जो उचित है। क्योंकि प्रार्थी–आपत्तिकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उक्त खसरान के निकट भूमियों के कोई रजिस्टर्ड बेचाननामें प्रस्तुत नही किए गये, प्रार्थी की भूमि स्थानीय निकाय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित नही है तथा इसके एकदम निकट राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रचलित बाजार दर 904/–रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से 9,14,341.76/–रूपये की मांग करना बेबुनियाद एवं अनुचित है।

7. रेलवे अधिनियम, 1989 के चैप्टर IV-A (प्रचलित धारा 20ए से 20पी) के तहत विशेष रेल परियोजना हेतु भूमि अवाप्त करने के मामलों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे अधिनियम, 2013 के नाम से संबोधित किया जायेगा) लागू नही होता है। द्वितीयतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित खसरा नं0 1794 की भूमि में से अवाप्त की गई भूमि 0.0094 हैक्टर का मूल्य 24,875/–रूपये पर रेलवे अधिनियम, 1989 व रेल मंत्रालय द्वारा जारी Entitlement Matrix, 2015 के अनुसार अवाप्त भूमि के उक्त मूल्य पर 100 तोषण (सोलेशियम) 24,875/–रूपये दिया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ''गठित संयुक्त माप समिति'' की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरान की अवाप्त भूमि में कोई परिवार प्रभावित/विस्थापित नही हुआ है। इसलिए Entitlement Matrix, 2015 के अनुसार भी जीवन यापन हेतु कोई अनुदान एवं विस्थापन परिवहन राशि प्रदान नही की जा सकती। प्रकरण में रेलवे अधिनियम की धारा 20ए के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से अवार्ड पारित होने की दिनांक तक 12% वार्षिक ब्याज का भुगतान विधिनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान कर दिया गया है। जिसका स्पष्ट विवरण अवार्ड एवं संलग्न क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण पत्रक (परिशिष्ट अ, अ(1), अ(2), ब, स, द– पृ0सं0 1 से 13 तक) में अंकित है।

8. रेलवे अधिनियम, 1989 के चेप्टर IV-A के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त करने हेतु विधिनुसार विभिन्न विशेषज्ञों की ''संयुक्त माप कमेटी'' गठित की गई थी। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी पिण्डवाडा तथा सहायक निदेशक उद्यान पाली भी सम्मिलित थे। उक्त कमेटी द्वारा

प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखित खसरा नं0 1794 में से अवाप्तशुदा भूमि पर 6 पेड़ ही थे, जिनका कमेटी के विशेषज्ञों द्वारा मुल्यांकन अनुसार निर्धारित प्रतिकर राशि 7,290/– सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय में दिलवायी गई है। अतः प्रार्थी का यह कथन कि इस मद पेटे दिलवायी गई राशि आनुपातिक रूप से अत्यंत कम है, गलत साबित होता है।

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 विधि अनुरूप होने से, प्रार्थी द्वारा क्लेम के पद सं0 10 के उप पद सं0 1 से 6 (निर्णय की सारणी में अंकित) में वर्णित कोई भी मुआवजा राशि एवं अनुतोष विधिनुसार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा गलत, मिथ्या एवं बेबुनियाद तथ्य वर्णित कर भूमि की कीमत 9,14,341.76/–रूपये, तोषण राशि 9,14,341.76/–रूपये, जीवन यापन अनुदान राशि 36,000/–रूपये, विस्थापन परिवहन राशि 50,000/–रूपये, पुनर्स्थापन पेटे 50,000/–रूपये, फसल व पेड़ों के 1,00,000/–रूपये तथा कुल मुआवजा राशि पर 12% ब्याज का शपथ पत्र से समर्थित, क्लेम विधिक प्रावधानों के विपरित एवं बेबुनियाद होने के कारण विशेष हर्जे के साथ खारिज करने तथा प्रार्थी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

अप्रार्थी सं0 5–सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा रेकर्ड सहित उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत जबाव क्लेम/प्रारंभिक आपत्तियो को विधि अनुकूल होना बताते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम को खारिज करने का आग्रह किया गया।

हमने उपरोक्त क्लेम प्रकरण में दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किए गये अभिकथनों पर मनन किया एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसके सारांशतः यह पाया जाता है कि :–

1. उक्त अभिनिर्णय (अवार्ड) रेलवे अधिनियम, 1989 (विद्यमान मूल मय संशोधन 2008) की धारा 20एफ के प्रावधानों के तहत भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निषपादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन के लिए जिला सिरोही में तहसील पिण्डवाडा के ग्राम पिण्डवाडा–I में भूमि अधिग्रहण हेतु भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) संख्या 246 दिनांक 08.02.2011 में जारी रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 286(अ) दिनांक 08.02.2011 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा, जिला सिरोही द्वारा पारित किया है।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि, भवनों, संरचनाओं, पेड़ों व फसलों के वास्तविक माप एवं सत्यापन हेतु जरिये पत्रांक 4384 दिनांक 04.10.2017 द्वारा गठित 'संयुक्त माप समिति'

में तहसीलदार पिण्डवाडा को सर्वे टीम प्रभारी, डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि एवं तकनीकी अधिकारी को सर्वे सहायक, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पिण्डवाडा को भवनों एवं संरचनाओं के मूल्यांकन हेतु, क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग पिण्डवाडा को अवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावित पेड़ों के मूल्यांकन हेतु, सहायक निदेशक उद्यान पाली को अवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावित फलदार वृक्षों के मूल्यांकन हेतु एवं हल्का पटवारी व संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक को भूमि का निरीक्षण सर्वेक्षण माप चौख एवं खातेदारों के नामों का सत्यापन हेतु नामित किया गया।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय पारित करने से पूर्व भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20एफ की उपधारा 5 के अन्तर्गत प्रभावित पक्ष को दिनांक 26.04.2018 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिकर से संबंधित दावें प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत दावों को सुना जाकर तद्नुसार अभिनिर्णय करते समय ध्यान रखा गया, जिसका विस्तृत विवरण अभिनिर्णय में एवं मुआवजे का विवरण, क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण पत्रक में उल्लेखित है।

4. प्रार्थी द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र में यह उल्लेखित किया है कि उसकी भूमि नगरपालिका पिण्डवाडा के मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त भूमि के पास राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि के निकटस्थ भूमियों की रजिस्टर्ड बेचाननामों से प्रार्थीगण की भूमि की प्रकृति आवासीय प्रकट है। इस कारण वह अपनी भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए प्रार्थी का यह तथ्य अप्रमाणित सिद्ध है।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम में उल्लेखित तथ्यों का विनिश्चय अभिनिर्णय के पृष्ठ संख्या 5 के कम संख्या 3 पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के संक्षिप्त विवरण एवं उस पर लिया गया निर्णय के कॉलम में उपलब्ध है। उक्त अभिनिर्णय भारतीय रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 एवं भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी Entitlement Matrix, 2015 के नियमानुसार किये जाने का उल्लेख है। इस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के दावे /क्लेम का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक रूप से पूर्व मे ही निस्तारण कर अभिनिर्णय पारित जाना प्रकट है।

6. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(एफ)(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि स्वीकार्य नही होने की स्थिति में, पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर राशि का निर्धारण

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा विहित प्रकियानुसार निर्धारित करने का प्रावधान है। जबकि उक्त क्लेम में प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को स्वीकार नही करने या सविरोध स्वीकार करना वर्णित नही है। इस प्रकार जब प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ली गई है, तो रेलवे अधिनियम की उक्त धारा के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र, कोई वाद कारण नही होने तथा विधि द्वारा बाधित होने से खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से, तदनुसार खारिज किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा (सिरोही) द्वारा पारित अभिनिर्णय कमांकः 864–65 दिनांक 31.05.2018 एवं क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण पत्रक के पृष्ठ सं0 2, कम सं0 3 के कॉलम संख्या 12 में अंकित प्रार्थी को अभिनिर्णित, हिस्सा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि 59,207/–रूपये उचित एवं विधिसम्मतः होने से अहस्तपक्षेनीय है।

निर्णय आज दिनांक 12 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

17/7/23

(कैलाश चन्द मीना)
मध्यस्थ एवं
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

कमांकः सं.आ./जोधपुर/आर्बीट्रेटर/2023/318-319 दिनांक 17.07.2023

प्रतिलिपी :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है –

1. मुख्य परियोजना प्रबन्धक/महाप्रबंधक(सिविल), डी.एफ.सी.सी.आई.एल. (भारत सरकार), 42ए/3 सिविल लाईन अजमेर (राज0)।
2. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा जिला सिरोही।

17/7/23

(कैलाश चन्द मीना)
मध्यस्थ एवं
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर